न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 02 / 2020

अनवान

1. बद्री पुत्र श्री भूरा जाट जाति जाट निवारी राजोला तह तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. कालु लाल पुत्र श्री बालिया जाट निवासी भैसाकुण्डल।
2. नानू लाल पुत्र श्री बालिया जाट निवासी भैसाकुण्डल।
3. सायरी पुत्र श्री बालिया जाट निवासी भैसाकुण्डल।
4. लादू लाल पुत्र श्री नारायण जाट निवासी राजोला।
5. श्रीमती गीता देवी पत्नी देवी लाल जाट निवासी राजोला।
6. टीना देवी पत्नी श्री पूरणमल गाडरी निवासी राजोला।
7. हीरू देवी पत्नी श्री नारायण लाल गाडरी निवासी राजोला।
8. नारायण पुत्र श्री भुवाना जाट निवासी देवली।
9. किशन पुत्र श्री रामेश्वर जाट निवासी देवली।
10. रतन लाल पुत्र श्री रामेश्वर जाट निवासी देवली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 31—08—2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूॅ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 12.01.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम देवली पटवार हल्का देवली भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडोद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 326 की कृषि भूमि की आ.न. 192 रकबा 0.6133 है. खाता संख्या 325 में आराजी नम्बर 189/1 रकबा 0.0126 है0, आराजी नम्बर 190 रकबा 0.4173 है0 कुल किता 02 रकबा 0.4299 है0 एवं खाता संख्या 333 मे आराजी नम्बर 191 रकबा 0.3794 है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.01.2021 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 1 से 10 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.09.10 15:58:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेशित किये जाते है कि **ग्राम देवली पटवार हल्का देवली भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडोद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 326 की कृषि भूमि की आ.न. 192 रकबा 0.6133 है. खाता संख्या 325 में आराजी नम्बर 189/1 रकबा 0.0126 है0, आराजी नम्बर 190 रकबा 0.4173 है0 कुल किता 02 रकबा 0.4299 है0 एवं खाता संख्या 333 मे आराजी नम्बर 191 रकबा 0.3794 है0 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 500/— पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 31/08/2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(अंशुल आमेरिया)

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ (राज.)